एक्सपो मार्ट लखनऊ में निर्मित प्रदर्शनकक्षों एवं फूड कोर्ट के आवंटन हेतु नियमावली

एसाइड योजना से वित्त पोषित एक्सपो मार्ट लखनऊ की परियोजना की स्थापना 8 कैण्ट रोड, कैसरबाग, लखनऊ में की गयी है। इस परियोजना की स्थापना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश की प्रमुख निर्यातक इकाईयों, हस्तशिल्पियों के निर्यात योग्य उत्पादों के प्रदर्शन एवं विपणन हेतु उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में समस्त आधुनिक सुविधाओं से युक्त एक ऐसे स्थल का विकास है जहां पर निर्यातक इकाईयों को न केवल अपने उत्पादों के प्रदर्शन एवं विक्रय की सुविधा उपलब्ध हो सके, अपितु इन निर्यातक इकाईयों के कौशल उन्नयन एवं विपणन विकास हेतु समय-समय पर क्रेता-विक्रेता सम्मेलन, डिजाईन, प्रशिक्षण एवं परामर्श सुविधायें एक छत के नीचे उपलब्ध करायी जा सके।

उक्त परियोजना के अन्तर्गत निर्मित किये गये भवन के भू-तल पर 35 अस्थायी प्रदर्शनकक्ष, प्रथम तल पर 37 स्थायी प्रदर्शनकक्ष निर्मित किये गये हैं। उक्त के अतिरिक्त द्वितीय तल पर आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, का कैम्प कार्यालय, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो एवं संयुक्त आयुक्त उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ के कार्यालय हेतु भवन तथा क्रमशः 100 एवं 25 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता वाले दो सभाकक्ष निर्मित किये गये हैं।

भू-तल एवं प्रथम तल पर निर्मित किये गये स्थायी एवं अस्थायी प्रदर्शनकक्षों का प्रदेश के निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान करने वाले हस्तशिल्पों एवं विभिन्न उत्पाद समूहों की इच्छुक निर्यातक/उद्यमी/हस्तशिल्पी इकाईयों के मध्य पारदर्शी ढंग से आबण्टन किये जाने हेतु नियमावली निम्नानुसार है :-

1. आवंटन समिति :-

परियोजनान्तर्गत निर्मित स्थायी एवं अस्थायी प्रदर्शनकक्षों के आवंटन हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार करने हेतु निम्नानुसार आवंटन समिति होगी :-

1. संयुक्त आयुक्त उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ	अध्यक्ष
2. संयुक्त निर्यात आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उ0प्र0	सदस्य
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0, हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लि0	सदस्य
4. सहायक आयुक्त, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, लखनऊ परिक्षेत्र, लखनऊ	सदस्य
5. प्रतिनिधि हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद, भारत सरकार, नई दिल्ली	सचिव
6. प्रतिनिधि, कालीन निर्यात संवर्धन परिषद, भदोही	सदस्य
7. क्षेत्रीय निदेशक हस्तशिल्प, कार्यालय विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) भारत सरकार, लखनऊ	सदस्य
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 व्यापार प्रोत्साहन प्राधिकरण, कानपुर ।	सदस्य
9. आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उ0प्र0 के प्रतिनिधि जो हस्तशिल्प डिवीजन का प्रभारी हो ।	सदस्य
10 संस्कृति विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य
11. पर्यटन विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य
12. उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग केन्द्र, लखनऊ	सदस्य-सचिव

2. स्थायी प्रदर्शनकक्षों के आवंटन हेतु पात्रता :- एक्सपो मार्ट लखनऊ के 37 स्थायी प्रदर्शन कक्षों का आवंटन ऐसी इकाईयों/प्रतिष्ठानों/हस्तशिल्पियों के लिये है, जो उ0प्र0 में स्थित हैं तथा निम्नलिखित में से किसी एक पंजीयन/लाइसेसिंग प्राधिकारी के अधीन पंजीकृत होः-

1. जिला उद्योग केन्द्र/निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो
2. विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषद/कमोडिटी बोर्ड

3. उद्यान, खाद्य एवं फल प्रसंस्करण विभाग
4. विकास आयुक्त, हस्तशिल्प, भारत सरकार द्वारा निर्गत पहचान पत्र धारक हस्तशिल्पी जिनके उत्पाद की निर्यात क्षमता हो।
5. केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हस्तशिल्प संस्थायें

आवेदक इकाईयों का पैनकार्ड, वैट पंजीकरण एवं निर्यातक की दशा में आयातक निर्यातक कोड होना अनिवार्य है तथा उसके विरूद्ध कोई अभियोग पंजीकृत अथवा गतिमान नहीं होना चाहिये एवं देश के किसी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया हो।

3. स्थायी प्रदर्शनकक्षों का उत्पाद समूहवार आवंटन :-

लखनऊ एक्सपो मार्ट में 37 स्थायी प्रदर्शन कक्षों का विभिन्न उत्पाद समूहोंवार निम्नानुसार आवंटन किया जायेगा :-

क्र.सं.	उत्पाद समूह	आवंटन हेतु उपलब्ध प्रदर्शन कक्षों की संख्या
1	रेडीमेड गारमेन्ट्स, ज़री एवं चिकन के उत्पाद, ऊलेन उत्पाद, रेशमी वस्त्र एवं साड़ियां	5
2	होम फर्निशिंग आईटम्स (हैण्डलूम, पावरलूम)	4
3	कारपेट एवं दरी	4
4	मेटल एवं ग्लास आर्टवेयर	4
5	चर्म एवं चर्म उत्पाद	3
6	प्रसंस्कृत खाद्य/औद्यानिक उत्पाद	4
7	एसेन्सियल ऑयल, स्पाईसेस एवं हर्बल/आर्गेनिक उत्पाद	3
8	काष्ठ हस्तशिल्प एवं फर्नीचर इत्यादि	4
9	मार्बल, सेरेमिक	2
10	जेम्स एण्ड ज्वैलरी, आर्टिफिशियल ज्वैलरी आदि	4

1. प्रदर्शनकक्षों के आवंटन हेतु इलेक्ट्रानिक/प्रिन्ट मीडिया में व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे।
2. लखनऊ एक्सपो मार्ट की आवंटन प्रणाली से सम्बन्धित विवरण एवं आवेदन पत्र का प्रारूप यू.पी.टी.पी.ए. की वेबसाईट www.uptpa.org.in पर अपलोड किया जायेगा तथा इसी वेबसाईट पर आवेदन पत्र आनलाईन फाईल किये जायेंगे। आवेदक यदि चाहें तो निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत अपने पूर्ण आवेदन पत्र ऑफलाइन (डाक द्वारा या व्यक्तिगत रूप से) उपलब्ध करा सकते हैं।
3. प्रदर्शनकक्षों के आवंटन हेतु आवेदन करने के लिए कम से कम 21 दिन का समय दिया जायेगा।
4. प्रदर्शनकक्षों के आवंटन के लिए प्राप्त आवेदनों को निम्नलिखित आधार पर अंक प्रदान करते हुए श्रेष्ठता क्रम में सूचीबद्ध किया जायेगा :-

(अ)	विगत 03 वर्ष के सेल्स/एक्सपोर्ट वाल्यूम (वित्तीय वर्ष 2012-13 से प्रारम्भ)	20 अंक
(ब)	एवार्ड (राष्ट्रीय/राज्य)	15 अंक
(स)	व्यवसाय/निर्यात की अवधि	08 अंक
(द)	महिला उद्यमी (पूर्ण स्वामित्व युक्त)	07 अंक
	योग	**50 अंक**

5. प्रदर्शनकक्षों का आवंटन श्रेष्ठता क्रम में आवेदक द्वारा प्राप्त अंको के आधार पर किया जायेगा। उपलब्ध प्रदर्शनकक्षों के सापेक्ष समान अंक प्राप्त करने वाले आवेदकों के मध्य आवंटन समिति द्वारा ड्रा के माध्यम से किया जायेगा।
6. प्रदर्शनकक्षों के आवंटन में क्षेत्रवार एवं प्रमुख उत्पाद समूहवार संतुलन रखा जायेगा तथा किसी एक उत्पाद समूह हेतु उपलब्ध प्रदर्शन कक्षों के सापेक्ष पर्याप्त संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त न होने की स्थिति में उसे किसी दूसरे उत्पाद समूह हेतु आवंटित किए जाने का अधिकार लखनऊ एक्सपो मार्ट आवंटन समिति में निहित होगा।
7. उपरोक्त आधार पर आवंटन समिति द्वारा निर्णय तिथि से 30 दिन के अन्दर प्रदर्शनकक्षों का आवंटन सुनिश्चित किया जायेगा।
8. आवंटी को आवंटित स्थल आवंटन तिथि से अधिकतम 3 माह के भीतर कार्यशील करना अनिवार्य होगा अन्यथा आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।
9. आवेदकों द्वारा निर्धारित लीज अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार लीजरेन्ट, अनुरक्षण (Maintenance) चार्ज आदि के भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।
10. प्रदर्शनकक्षों के आवंटन की आरम्भिक लीज अवधि कम से कम 10 वर्ष होगी, जिसे, 10 वर्ष की अवधि तक विस्तारित किया जा सकेगा। आवंटी द्वारा लीज डीड में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पालन न किये जाने/उल्लंघन की स्थिति में उक्त अवधि के पूर्व भी लीज निरस्त किये जाने का अधिकार आवंटन समिति में निहित होगा।
11. आवंटियों द्वारा प्रदर्शनकक्षों को बिना पूर्व अनुमति के सब-लेट, ट्रांसफर या मार्टगेज नहीं किया जा सकेगा।
12. एक्सपो मार्ट में प्रदर्शनकक्षों को सक्रिय प्रदर्शनकक्ष के रूप में संचालित रखना अनिवार्य होगा एवं उ0प्र0 के सम्बन्धित हैण्डीक्राफ्ट एवं निर्यात योग्य उत्पादों को प्रदर्शित किया जा सकेगा।
13. प्रदर्शनकक्षों की लीज अवधि में आवंटियों एवं लखनऊ एक्सपो मार्ट प्रबंधन एवं संचालन समिति के मध्य लीज डीड (अनुबन्ध) निष्पादित की जायेगी।

4. स्थायी प्रदर्शनकक्षों हेतु लीज रेन्ट मेन्टनेन्स चार्ज एवं सिक्योरिटी डिपॉजिट का निर्धारणः-

1. स्थायी प्रदर्शनकक्षों के लीज रेन्ट के निर्धारण हेतु डीएम सर्किल रेट के आधार पर किया जायेगा परन्तु यह न्यूनतम रु0 5000/ प्रति माह होगा तथा प्रदर्शन कक्ष की स्ट्रैटिजिक लोकेशन (Front, Corner or Excess Space) के आधार पर इस किराये में 20 प्रतिशत की धनराशि अतिरिक्त रूप से ली जायेगी। यदि किसी अवधि में डीएम सर्किल के आधार पर किरायेदारी की दरें उपर्युक्त दरों से अधिक होंगी तो डीएम सर्किल रेट के आधार पर ही किराया देय होगा।
2. एक्सपो मार्ट की सिक्योरिटी, सेनिटेशन, विद्युत उपभोग एवं अनुरक्षण, सामान्य अनुरक्षण एवं प्रचार-प्रसार आदि में आने वाले व्यय को प्रदर्शन कक्षों के आवंटियों पर सामान्य रूप से प्रभारित करते हुए मेन्टेनेन्स चार्ज के रूप में लिया जायेगा। वर्तमान में यह न्यूनतम रु0 4500/- प्रतिमाह प्रति प्रदर्शनकक्ष होगा तथा मेन्टेनेन्स चार्ज में समय-समय पर होने वाली वृद्धि या कमी के अनुसार तद्नुसार परिवर्तनीय होगा।
3. प्रत्येक आवंटी से प्रदर्शन कक्ष के आवंटन के समय सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में 12 महीने का किराया एकमुश्त लिये जाने का प्रस्ताव है जिसे लीज अवधि की समाप्ति पर बिना ब्याज के वापस किया जायेगा।
4. 3 वर्ष के पश्चात् लीज रेन्ट और मेन्टीनेन्स चार्ज में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

5. अस्थायी प्रदर्शनकक्षों के आवंटन हेतु पात्रता :-

एक्सपो मार्ट लखनऊ के 37 स्थायी प्रदर्शन कक्षों का आवंटन ऐसी इकाईयों/प्रतिष्ठानों/हस्तशिल्पियों के लिये है, जो उ0प्र0 में स्थित हैं तथा निम्नलिखित में से किसी एक पंजीयन/लाइसेसिंग प्राधिकारी के अधीन पंजीकृत हो :-

1. जिला उद्योग केन्द्र/निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो में पंजीकृत निर्यातक इकाईयां
2. विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषद/कमोडिटी बोर्ड में पंजीकृत निर्यातक इकाईयां।
3. उद्यान एवं फल प्रसंस्करण विभाग में पंजीकृत फूड प्रोसेसिंग इकाईयां।
4. विकास आयुक्त, हस्तशिल्प, भारत सरकार द्वारा निर्गत पहचान पत्र धारक हस्तशिल्पी।
5. आवेदक का उत्तर प्रदेश का निवासी होना अनिवार्य होगा।

आवेदक इकाईयों का पैनकार्ड, वैट पंजीकरण एवं निर्यातक की दशा में आयातक निर्यातक कोड होना अनिवार्य है तथा उसके विरूद्ध कोई अभियोग पंजीकृत अथवा गतिमान नहीं होना चाहिये एवं देश के किसी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया हो।

6. अस्थायी प्रदर्शनकक्षों के आवंटन की प्रक्रिया :-

1. प्रदर्शनकक्षों के आवंटन हेतु इलेक्ट्रानिक/प्रिन्ट मीडिया में व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे।
2. उत्तर प्रदेश व्यापार प्रोत्साहन प्राधिकरण (UPTPA) की वेबसाईट www.uptpa.org.in पर आवेदन पत्र का प्रारूप एवं आमंत्रण पत्र अपलोड किया जायेगा।
3. आवेदक इकाई को उक्त वेबसाईट के माध्यम से आनलाईन अथवा ऑफ लाईन आवेदन करने की सुविधा प्रदान की जायेगी।
4. प्राप्त आवेदन पत्रों को विभिन्न उत्पाद कोटियों के आधार पर सूचीबद्ध किया जायेगा। यदि 35 उत्पाद श्रेणियों से अधिक उत्पाद श्रेणियों के अन्तर्गत आवेदन प्राप्त होते हैं तो ऐसी उत्पाद कोटियों को वरीयता दी जायेगी जिनका निर्यात प्रदर्शन अन्य के मुकाबले तुलनात्मक रूप से अच्छा होगा। किसी एक उत्पाद कोटि के एक से अधिक आवेदक होने की स्थिति में आवंटन समिति द्वारा लाटरी के आधार पर चयन किया जायेगा।
5. प्रदर्शनकक्षों के आवंटन हेतु आवेदन करने के लिए कम से कम 21 दिन का समय दिया जायेगा।
6. अस्थायी प्रदर्शनकक्षों के आवंटन में भी क्षेत्रवार एवं उत्पाद समूहवार संतुलन रखा जायेगा।
7. समुचित आवेदकों की उपलब्धता की स्थिति में ऐसे आवेदनकर्ताओं को पुनः आवंटन नहीं किया जायेगा जिन्हें चालू वित्तीय वर्ष में प्रदर्शनकक्ष आंवटित किये गये हों।
8. अस्थायी प्रदर्शनकक्षों के आवेदकों को आवंटन की सूचना दी जायेगी, जिसके आधार पर आवंटियों द्वारा निर्धारित शुल्क अग्रिम धनराशि के रूप में जमा करना होगा।
9. अस्थायी प्रदर्शनकक्षों का आवंटन 3 माह हेतु किया जायेगा जिसे पाक्षिक आधार पर अधिकतम 30 दिन के लिए बढ़ाया जा सकेगा।

7. अस्थायी प्रदर्शनकक्षों हेतु लीज रेन्ट मेन्टनेन्स चार्ज एवं सिक्योरिटी डिपॉजिट का निर्धारणः-

1. अस्थायी प्रदर्शनकक्षों के लीज रेन्ट के निर्धारण हेतु डीएम सर्किल रेट के आधार पर किया जायेगा परन्तु यह न्यूनतम रु0 5000/ प्रति माह होगा तथा प्रदर्शन कक्ष की स्ट्रैटिजिक लोकेशन (Front, Corner or Excess Space) के आधार पर इस किराये में 20 प्रतिशत की धनराशि अतिरिक्त रूप से ली जायेगी। यदि किसी अवधि में डीएम सर्किल के आधार पर किरायेदारी की दरें उपर्युक्त दरों से अधिक होंगी तो डीएम सर्किल रेट के आधार पर ही किराया देय होगा।
2. एक्सपो मार्ट की सिक्योरिटी, सेनिटेशन, विद्युत उपभोग एवं अनुरक्षण, सामान्य अनुरक्षण एवं प्रचार-प्रसार आदि में आने वाले व्यय को प्रदर्शन कक्षों के आवंटियों पर सामान्य रूप

से प्रभारित करते हुए मेन्टेनेन्स चार्ज के रूप में लिया जायेगा। वर्तमान में यह न्यूनतम रु0 4500/- प्रतिमाह प्रति प्रदर्शनकक्ष होगा तथा मेन्टेनेन्स चार्ज में समय-समय पर होने वालीवृद्धि या कमी के अनुसार तद्नुसार परिवर्तनीय होगा। अस्थायी प्रर्शनकक्ष के आवंटियों से मासिक मेन्टेनेन्स व्यय के रूप में ली जाने वाली धनराशि की 1/2 राशि अग्रिम के रूप में ली जायेगी।

3. प्रत्येक आवंटी से प्रदर्शन कक्ष के आवंटन के समय सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में 03 महीने का किराया एकमुश्त अग्रिम के रूप में लिया जायेगा, जिसे आवंटन अवधि की समाप्ति पर समस्त देयों को काट कर बिना ब्याज के वापस कर दिया जायेगा।
4. अस्थायी आवंटी/आवंटन तिथि के अंतिम दिवस की रात्रि तक अपना सामान हटाने के लिये उत्तरदायी होंगे तथा कब्जा मार्ट प्रबन्धन को लिखित रूप में दे देंगे अन्यथा उनसे प्रतिदिन किराये के तीन गुना दण्ड राशि आरोपित की जायेगी।
5. लीज रेन्ट में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

8. फूड कोर्ट :-

फूड कोर्ट से प्राप्त होने वाले रेन्ट एवं मैन्टेनेन्स की धनराशि को संचालन समिति को दिया जायेगा। फूड कोर्ट के संचालन निविदा के आधार पर किये जाने का प्रस्ताव है।

1. फूड कोर्ट के संचालन हेतु संस्था/व्यक्ति का चुनाव उसके द्वारा की गयी अधिकतम बोली के आधार पर किया जायेगा।
2. फूड कोर्ट हेतु मेन्टीनेन्स चार्ज की दरों का निर्धारण अस्थायी एवं स्थायी प्रदर्शन कक्षों के आवंटियों का न्यूनतम 150 प्रतिशत होगा।
3. फूड कोर्ट के संचालन हेतु चयनित संस्था/व्यक्ति से सिक्योरिटी चार्ज के रूप में ली जाने वाली धनराशि स्थायी/अस्थायी प्रदर्शन कक्ष के आवंटियों की भाँति 12 महीने के लीज रेन्ट के समतुल्य होगी, जिसे लीज रेन्ट की समाप्ति के बाद बिना ब्याज के वापस किया जायेगा।

9. एक्सपो मार्ट से प्राप्त होने वाली आय का एलोकेशन निम्नवत् किया जायेगा:-

(अ) स्थायी एवं अस्थायी प्रदर्शनकक्षों के फूड कोर्ट से प्राप्त होने वाली लीज रेन्ट/धनराशि को एक्सपो मार्ट के खाते में जमा किया जायेगा।

(ब) एक्सपो मार्ट के खाते में जमा रेन्ट की धनराशि से Sinking Fund बनाया जायेगा, जिसका उपयोग शासी निकाय/संचालन समिति के निर्देशानुसार किया जायेगा।

10. एक्सपो मार्ट की संचालन एवं प्रबन्धन समिति :-

एक्सपो मार्ट के संचालन एवं प्रबन्धन हेतु नियामवली के प्रस्तर 13 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार निम्नानुसार एक समिति का गठन किया गया है :-

1. संयुक्त आयुक्त उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ	अध्यक्ष
2. संयुक्त निर्यात आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उ0प्र0	सदस्य
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0, हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लि0, उ0प्र0 के प्रतिनिधि	सदस्य
4. सहायक आयुक्त, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, लखनऊ परिक्षेत्र,लखनऊ	सदस्य
5. प्रतिनिधि हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद, भारत सरकार, नई दिल्ली	सदस्य
6. कारपेट एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउन्सिल, भदोही के प्रतिनिधि	सदस्य
7. निदेशक हस्तशिल्प, भारत सरकार, कार्यालय विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) लखनऊ	सदस्य

8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 व्यापार प्रोत्साहन प्राधिकरण, कानपुर	सदस्य
9. आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उ0प्र0 के प्रतिनिधि जो हस्तशिल्प डिवीजन का प्रभारी हो ।	सदस्य
10. आवंटी निर्यातक (स्थायी) के 4 प्रतिनिधि जो दो वर्ष के बाद बदलते रहेंगे।	सदस्य
11. उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग केन्द्र, लखनऊ	सदस्य-सचिव

नोटः-

1. एक्सपो मार्ट के संचालन हेतु यदि इस नियमावली में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कोई संशोधन किया जाता है तो एक्सपो मार्ट प्रबन्धन एवं संचालन समिति तथा आवंटियों के लिए उसका पालन करना बाध्यकारी होगा ।
2. आवंटन के सम्बन्ध में आवंटन समिति का निर्णय अन्तिम होगा तथा आवंटियों एवं लखनऊ एक्सपो मार्ट प्रबन्धन एवं संचालन समिति के मध्य किसी भी प्रकार के विवाद के निस्तारण हेतु न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा।

सेवा में,

सचिव,

लखनऊ एक्सपो मार्ट पंबन्धन एवं संचालन समिति

(जिला उद्योग केन्द्र परिसर) 8, कैण्ट रोड, कैसरबाग,

लखनऊ।

महोदय,

लखनऊ एक्सपो मार्ट, 8, कैण्ट रोड, कैसरबाग, लखनऊ में निर्मित 37 स्थायी स्टालों में आवेदक द्वारा निर्धारित आवंटित प्रक्रिया/नियम एवं शर्तो के अधीन निर्धारित लीज रेण्ट, सिक्योरिटी डिपाजिट एवं मेण्टीनेन्स के चार्ज के भुगतान के आधार पर एक स्टाल आवंटित करने के लिये अपना आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रदर्शनकक्षों की निर्धारित आवंटन प्रक्रिया/नियम एवं शर्ते आवेदक को स्वीकार है। आवेदन पत्र के साथ वांछित अभिलेख संलग्न है।

(आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम

पता-

फर्म/कम्पनी/संस्था की मुहर

दिनांक

स्थान

LUCKNOW EXPO MART
8, Cantt Road, Kaisarbagh
Lucknow-226001

Application Form for display Shop/Stall

1. Name of the Applicant-Company/firm/organization:
2. Address and Contact Details (Tel./Mob No./E-mail etc.)
3. Name of Contact Person(s)
4. Year of establishment (Enclose copy)
5. Detail of Registration .
6. (Enclose copy)
7. Nature of Company/firm/organization:
8. Ownership of company/firm/organisation :
9. (Male/Female/Others) (Enclose copy)
10. Detail of Product (Enclose Photographs)
    1)
    2)
    3)
    4)
    5)
11. Experience in manufacturing/Export (in years)
    (Enclose copy)
12. Detail of Award (National/State Award)
    (Enclose copy)
13. VAT/Trade Tax No.
    (Enclose copy)
14. Permanent Account Number
    (Enclose copy)
15. In case of exporter, I.E. code
    (Enclose copy)
16. Name of Bank & Account Number
    (Enclose copy of pass book/bank statement)

16. Turnover/Export of last three years (Enclose copies of ITR/Balance Sheet/ Bank Certificate)

2014-15	2013-14	2012-13

17. Any other information

Signature :
Name :
(Applicant/Authorized Signatory)
Seal of the Company/ Firm /Organisation

Place:
Date:

Undertaking by the Applicant

I, Son/daughter/wife of------------------------------- Proprietor/Partner/Director of------------------------do hereby solemnly affirm that all the informations given in the application for allotment of stall/shop in Expo Mart, Lucknow is correct to the best of my knowledge and belief. The Firm/Company/Organisation has not been prosecuted by any court of law of the country. If any information is noticed or found wrong or misleading before or after allotment of stall/shop, the Expo Mart, Lucknow/Allotment Committee shall be at liberty to take suitable action against me/my firm/company and my application shall be liable to be rejected/cancelled. I hereby accept all the terms & conditions laid down for the allotment of stalls at Lucknow Expo Mart, Lucknow and agree to abide by the same.

(Signature of the Applicant)

Place:

Name of the Applicant:

Date:

Seal of the Firm/Company/Organisation